रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 80] नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 7, 1972/माघ 18, 1893

No. 80] NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 7, 1972/MAGHA 18, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY 17 NOV 1972 GOVT. OF INDIA

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th February 1972

S.O. 119(E).—In exercise of the powers conferred by section 2 of the Foreign Awards (Recognition and Enforcement) Act, 1961 (45 of 1961), the Central Government, being satisfied that reciprocal provisions have been made, hereby declares Finland to be a territory to which the Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards, set forth in the Schedule to that Act, applies.

[No. F. 18(7)/70-P&P.]

S. THAN, Jt. Secy.

विदेश व्यापार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 फरवरी, 1972

का० आ० 119(अ).—विदेशी पंचाट (मान्यता और प्रवर्तन) अधिनियम, 1961 (1961 का 45) की धारा 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, यह समाधान हो जाने पर कि व्यतिकारी उपबन्ध कर दिये गये हैं, एतद्द्वारा फिनलैंड को ऐसा राज्यक्षेत्र घोषित करती है जिसका, उस अधिनियम की अनुसूची में उपवर्णित विदेशी माध्यस्थम पंचाटों की मान्यता और प्रवर्तन विषयक अभिसमय लागू होता है।

[फा० सं० 18 (7)/70-पी एण्ड पी]

एस० खान, संयुक्त सचिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972